जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/31 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | गुरुवार, 25 फरवरी 2021

अर्हम प्लाजा के निर्माण की पूर्व की तस्वीर,जब इसे नोटिस दिए गए थे

जे.डी.ए. के जोन-7 में स्थित आवासीय भूखंड संख्या 86 टैगोर नगर, अजमेर रोड पर जे.डी.ए.के नोटिसों के बावजूद बनकर तैयार अवैध व्यावसायिक काम्प्लेक्स "अर्हम प्लाजा"!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

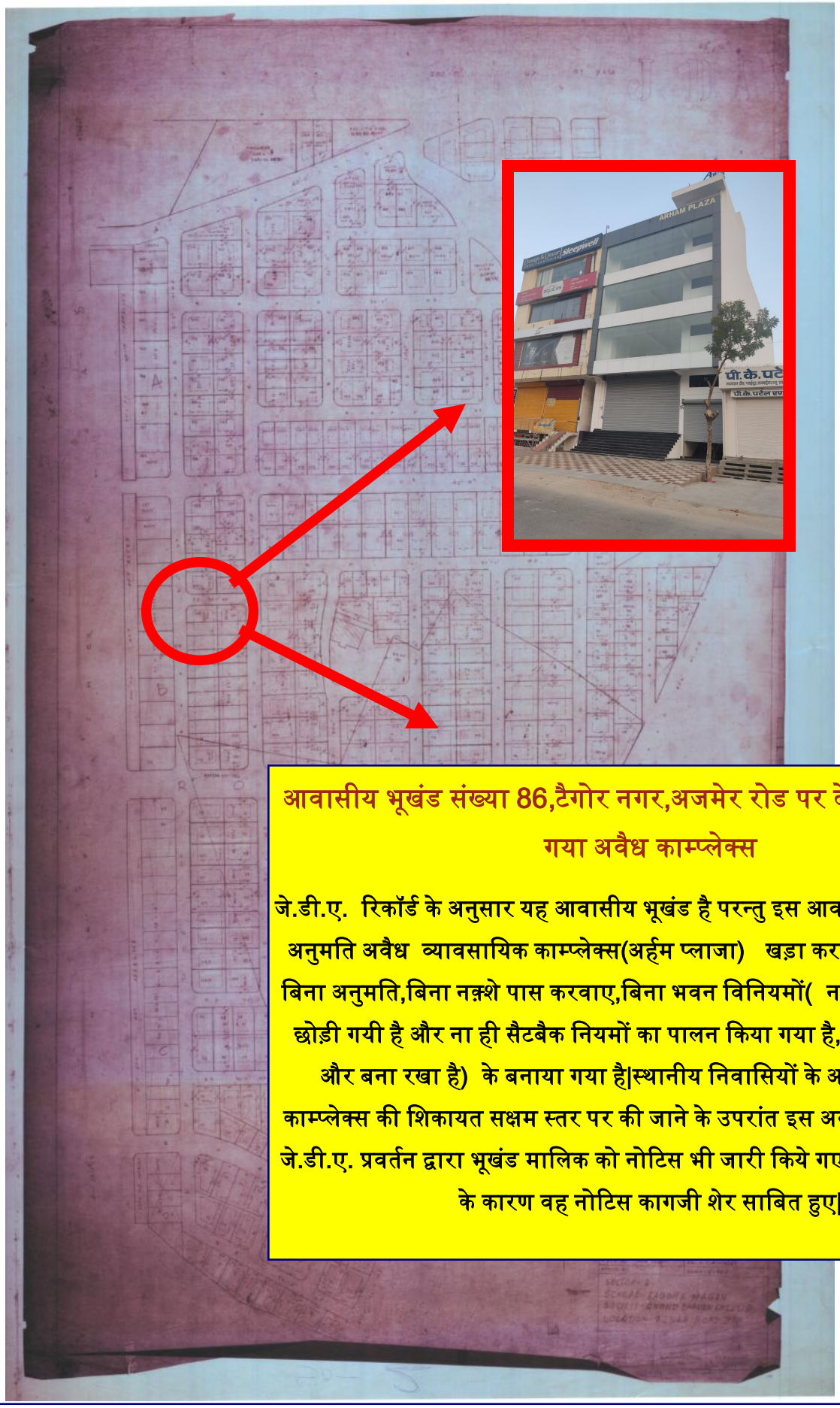

आवासीय भूखंड संख्या 86,टैगोर नगर,अजमेर रोड पर देखते ही देखते बन गया अवैध काम्प्लेक्स

जे.डी.ए. रिकॉर्ड के अनुसार यह आवासीय भूखंड है परन्तु इस आवासीय भूखंड पर बिना अनुमति अवैध व्यावसायिक काम्प्लेक्स(अर्हम प्लाजा) खड़ा कर दिया गया है|जो कि बिना अनुमति,बिना नक़्शे पास करवाए,बिना भवन विनियमों(ना तो पार्किंग व्यवस्था छोड़ी गयी है और ना ही सैटबैक नियमों का पालन किया गया है,बल्कि अवैध बेसमेंट और बना रखा है) के बनाया गया है|स्थानीय निवासियों के अनुसार इस अवैध काम्प्लेक्स की शिकायत सक्षम स्तर पर की जाने के उपरांत इस अवैध निर्माण के सन्दर्भ जे.डी.ए. प्रवर्तन द्वारा भूखंड मालिक को नोटिस भी जारी किये गए थे परन्तु ऊँचे रसुखों के कारण वह नोटिस कागजी शेर साबित हुए|

प्रथम सुचना रिपोर्ट

1.	भूखंडो का पता	86,टैगोर नगर,अजमेर रोड जयपुर
2.	संचालित गतिविधि	अर्हम प्लाजा व्यवसायिक शोरूम
3.	उल्लंघन की संभावित प्रकृति	बिना नक़्शे पास करवाए एवं बिना अनुमति,बिना भवन विनियमों की पालना(बिना सेटबैक छोड़े,बिना पार्किंग,अवैध बेसमेंट) के आवासीय भूखंड पर व्यवसायिक काम्प्लेक्स
4.	सम्बंधित ज़ोन	जे.डी.ए.ज़ोन-7
5.	कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी(प्रवर्तन स्तर पर)	प्रवर्तन अधिकारी श्री सुरेश यादव
6.	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेक्षण दिनांक	25/02/2021

जवाब मांगते सवाल?

अवैध निर्माण नहीं रोकना भी भ्रष्टाचार

उच्च न्यायालय ने दिखाई सख्ती

जयपुर @ पत्रिका . अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियां नहीं रोकने वाले लोकसेवकों पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियों पर सख्ती दिखाते हुए सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे के बारे में जानकारी के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एमएन को तलब किया। कोर्ट ने 20 अप्रेल को जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त, नगर निगम आयुक्त को तलब किया है।

जज महेश चन्द्र शर्मा ने रोहनलाल नामा की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण मामले में 22 जनवरी 2015 को अभ्यावेदन करने का आदेश दिया था। इस पर कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की है। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने कोर्ट को बताया कि जयपुर शहर में अवैध निर्माण व कब्जे हो रहे हैं। कोर्ट के आदेशों की अवमानना हो रही है। अवैध निर्माण व कब्जों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी है। कोर्ट ने इस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है या नहीं? जवाब के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एम एन को तलब किया। उन्हों दायित्व के प्रति अनदेखी को भ्रष्टाचार की श्रेणी में माना।

कार्रवाई संभव

अतिरिक्त महाधिवक्ता जी एस गिल ने कहा कि अवैध निर्माण या अवैध गतिविधियां रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी जानबूझकर कार्रवाई न करे या अनदेखी करे तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए प्रक्रिया अपनानी होगी। गिल के आग्रह पर कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले में कोई आदेश जारी करने से पहले जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त व जयपुर नगर निगम आयुक्त से जवाब तलब किया जाए।

सुनवाई 20 को

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी अधिवक्ता पक्ष रखना चाहे तो वह सुनवाई के दौरान पक्ष रखने को स्वतंत्र होगा। मामले की सुनवाई अब 20 अप्रेल को सवा 11 बजे होगी।

1. क्या भवन मालिक द्वारा सक्षम प्राधिकरण से इस भूखंड का भू-उपयोग परिवर्तन करवा लिया गया है?
2. क्या भवन मालिक द्वारा सक्षम प्राधिकरण से भवन विनियमों के अनुसार व्यवसायिक मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया गया है?
3. क्या भवन मालिक द्वारा भवन विनियमों के अनुसार सैटबैक मापदंडों का पालन किया जा रहा है?
4. क्या भवन मालिक द्वारा इन दुकानों की एक मुश्त/वार्षिक लीज मनी जमा करवा दी गयी है?
5. क्या भवन मालिक द्वारा इन दुकानों का यू.डी. टेक्स जमा करवा दिया गया है?
6. यह मामला जे.डी.ए./नगर निगम के आला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बावजूद यदि कोई कार्यवाही नहीं होती है और बिल्डिंग के अवैध निर्माण को आंच नहीं आती तो क्या सक्षम प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों का यह आचरण भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है?
7. क्या जे.डी.ए./नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार; में दिए गए आदेशों की अवमानना के दोषी नहीं है?
8. क्या इस अवैध निर्माण के विरुद्ध आज दिनांक तक कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है?क्यों उन शिकायतों पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी?
9. क्या राजनैतिक रसूखात है इस अवैध बिल्डिंग के मालिक के?
10. अब तक कितनी अवैध बिल्डिंगे बना चुका है इस भूखंड का मालिक?

आम जन की आवाज
मिशन मास्टर प्लान

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन 1554/2004 में दिए गए दिशा-निर्देशों की सख्त अनुपालना हेतु

आम जन का मिशन मास्टर प्लान

आज राजस्थान के जयपुर सहित सभी छोटे-बड़े शहर मास्टर-प्लान की अनदेखी के चलते कई समस्याओं से जूझ रहे है जिसके लिए जरुरी है कि आम शहर वासी भी अपने शहर के मूल स्वरुप को बचाने के लिए शासन में भागीदारी करें और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना के लिए अपने नागरिक अधिकारों का अधिकतम उपयोग करें|याद रखे शहर के विकास में आम नागरिक की अहम् भूमिका है|

आम नागरिक क्या करें-

1. अवैध निर्माणों,अतिक्रमणों,भवन विनियम उल्लंघनों की शिकायत स्थानीय नगरीय निकाय की अधिकृत वेबसाईट या संपर्क पोर्टल पर दर्ज करवाएं|
2. शहर में फैले अवैध रूफ-टॉप रेस्टोरेंट्स-बार की शिकायत स्थानीय नगरीय निकाय की अधिकृत वेबसाईट या संपर्क पोर्टल पर दर्ज करवाएं|
3. शहर के मास्टर प्लान/जोनल प्लान के अनुसार ही निर्माण कार्य करवा कर शहर के विकास में योगदान देवें|
4. आवासीय भूखंडों पर व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं करें|
5. राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट की निगरानी रखे,सड़क,फुटपाथ,पार्क की जमीन पर अवैध निर्माणों की शिकायत स्थानीय नगरीय निकाय की अधिकृत वेबसाईट या संपर्क पोर्टल पर दर्ज करवाएं|
6. बड़े-बड़े माल में पार्किंग आवश्यक है,पार्किंग स्थल पर हुए अवैध निर्माण की शिकायत स्थानीय नगरीय निकाय की अधिकृत वेबसाईट पर दर्ज करवाएं|
7. यदि आपके शहर के मध्य भी ओद्योगिक क्षेत्र संचालित हो रहा है तो उसकी शिकायत राज्य के मुख्य सचिव से करें|

यह रिपोर्ट www.jawabdosarkar.com द्वारा व्यापक जन हित में प्रकाशित की गयी है,इसका किसी व्यक्ति/संस्था/जाति/धर्म विशेष से कोई लेना-देना नहीं है|इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपना पक्ष/सुझाव/आपत्तिमय सम्बंधित तथ्यों/दस्तावेजों के पोर्टल के आधिकारिक पते:-S-1,सेकंड फ्लोर,झारखण्ड अपार्टमेंट,जनरल सगत सिंह मोड़ खातीपुरा रोड अथवा ईमेल id jawabdosarkar01@gmail.com अथवा व्हाट्सअप न. 9828346151 पर प्रेषित कर सकते है|आपका पक्ष/सुझाव/आपत्ति को उचित होने पर इस रिपोर्ट के अगले अंक में प्रकाशित कर दिया जायेगा|